

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीसीसी अधिकारी हरिताम झाडिस्य भार.सं.सं. एल.
वा.सं. 43/13

हरमान पुत्र बल्ली जाति भूजरा वि. पेडहा तहसील नगर
जिला भरतपुर --- वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर (भरतपुर) राज. --- प्रतिवादी

दावा अन्वयित धारा 88-89 R.T.M.A.

उपाक्षेप

1. श्री प्रताप सिंह कर्मनाथक वादी

2. पेंरीकार खाना
निर्णय

दिनांक - 10.4.14

वादी ने यह दावा इस न्यायालय में दुरु शेष कर
सौख्येन किया है कि वि. क्र.सं. 265, 266, 267, 464,
0.15, 0.12, 0.16, 0.08,
465, 466 वाके शाह पेडहा तहसील नगर साबिक ख.सं. 168, 175
0.08, 0.08 से बचाये गये हैं। साबिक ख.सं. 168, 175 पर हरमान पुत्र बल्ली
से बचाये गये हैं। साबिक ख.सं. 168, 175 पर हरमान पुत्र बल्ली
जाति भूजरा रही नाम दर्ज है, परन्तु सौटिलमेण्ट नर्नचारीयो ने
दौराने सौटिलमेण्ट हाल नम्बरान पर वादी का नाम हरमान पुत्र
बल्ली के स्थान पर हरमान पुत्र बल्ली दर्ज कर दिया है जो
कायनन गलत है। सौटिलमेण्ट नर्नचारीयो को इडाज बदलने का
कोई अधिकार नहीं है। इस गलत इडाज के नाश रटके ले वादी
को खरन रुक तलफो है, इसलिये नाम उकल कएने का अधिकार
है। इस में निवेदन किया है कि दावा वादी डिडी फरमाया
जाने तथा क्र.सं. 265, 266, 267, 464, 465, 466,
0.15, 0.12, 0.16, 0.08, 0.08, 0.08
वाके शाह पेडहा तह-नगर पर वादी के नाम हरमान पुत्र
बल्ली के स्थान पर हरमान पुत्र बल्ली संशोधित कर दर्ज
किया जाने।

दावा दर्ज रजिस्ट्र किया जानर प्रतिवादी को
जाहिल लफन तलफ किया गया। प्रतिवादी की ओर
निर्णय जवख उल्लन नही हुआ।
एकने उभयपक्ष को बहस सुनी तथा वादी का
पहुन दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक देखल कर-



किंथा / नरुल जमाबन्दी सं. 2026 के खता सं. 154 के साबिक
 क्र. ख. नं. 168 रकबा 2 बीघा 1 किल्ला तथा ख. नं. 175 के रकबा
 01 बीघा व 171 मिटर रकबा 12 किल्ला वाले ग्राम पेंडका की जागत-
 - " सुगनी बल्द कारी व नल्पी बल्द बल्ली समभाग 1/4 हरमान
 बल्द बल्ली व पदम बल्द सावालिमा समभाग 1/4, धीसा, प्रयाग,
 सुगडा, झुज्जु पि. मोली समभाग 1/2 जलसे बल्द गंगाबंस 1/2 दर
 1/2 हील्द का. झुज्जु स्त. डेह धिकमी साल-10" दर्ज होना पाया
 जाता है। नरुल खलरा पत्रक 2 प्रबंधा विभाग के अनुवाद -
 साबिक ख. नं. 168 से हाल ख. नं. 265, 266, 267 बनाये गये
 है तथा साबिक ख. नं. 175 से हाल ख. नं. 464, 465, 466 बनाया
 गया साबित होता है, तथा कॉलम नं. 23, 24 नाम सुषक गत
 एवं वर्तमान में - " सुगनी पुन कारी व नल्पी बल्द बशी समभाग 1/4
 हरमान बल्द बल्ली व पदम बल्द सावालिमा समभाग 1/4 धीसा प्रयाग
 सुगडा झुज्जु पि. मोली समभाग 1/2 जलसे बल्द गंगाबंस 1/2 दर 1/2 ही
 कांस झुज्जु स्त. डेह धिकमी साल-10" दर्ज होना पाया जाता है।

नरुल जमाबन्दी सं. 2066-67 के खता सं. 72 पर हाल ख. नं.
 265, 266, 267, 464, 465, 466 की बल्द - अन्य लिस्ते दरान के
 स्थे हरलाला पुन बल्ली 1/8 ही. गंगार का खतेपर दर्ज है। उक्त
 अलावा खता सं. 202 पर अन्य क्र. ख. नं. 236, 282, 607 पर -
 " हरमान हरमुख पुनात बल्ली समभाग जाले झुज्जु कि. डेह खोरा
 दर्ज है। तथा नाम. ले. 588 नि. दि. 14-1-2013 विभागन (1) ख. नं. $\frac{282}{0.35}$
 पर हरमान पुन बल्ली कास झुज्जु स्त. डेह खोरा (2) ख. नं. $\frac{282}{0.35}$ पर
 हरमुख पुन बल्ली कास झुज्जु स्त. डेह खोरा " का नोट कलिय है।

उक्त सफल विवेचन से यह साबित होता है कि
 वादी का नाम साबिक सैकर्ट में हरमान पुन बल्ली दर्ज है तथा
 हाल ख. नं. 236, 282, 607 पर भी वादी का नाम हरमान पुन बल्ली
 दर्ज है। विवादित भूमि के लाजिक नमनान हे बनाये हाल नामो
 पर वादी का नाम हरलाला पुन बल्ली दर्ज कल किंथा गया
 है जो साबिक इन्दाज के मुताबक चलता है तथा दुकल विषे
 जाने योग्य है, इस प्रकार दवा वादी लाबेल डिकी है।

अन्य अट्रेश है कि - दवा वादी डिजी किंथा -
 जाला है. क्र. ख. नं. $\frac{265}{0.15}, \frac{266}{0.12}, \frac{267}{0.16}, \frac{464}{0.8}, \frac{465}{0.8}, \frac{466}{0.08}$ वाले ग्राम
 पेंडका तह. नगर से हरलाला पुन बल्ली के स्थान पर हरमान उक्त
 बल्ली दुकल किंथा जाता है, शेष इन्दाज भवामत नहोगे। इती
 प्रकार डिकी जारी है। निर्णय आज दि. 10-4-14 की लिखाया जाका
 मुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
 नगर (मिसेपुड) राज 0

11-4-14

डिग्री ब मुकदमे इबादाईत्र
 (ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
 (Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : हरिद्वारा आदिल आर.ए.एस.
 राजस्व वाद संख्या : 43/13

निर्णय दिनांक : 10.4.14

उत्पन्न
हरमान पुत्र व लखी आदि गजूर नि. डिंडका बहाली नगर
जिला भरतपुर ----- वादी

बनाम
दाहजी लदाह लखी नगर (भरतपुर) राज ----- प्रतिवादी

दावा-प्रवृत्ति धारा (88, 89 आर.टी.एक्ट)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु हमारे बहाजरी प्रताप सिंह
 अभिभाषक मिनजानिब मुद्ई श्री प्रिडिकाइ साहल मुदायलाह पेश होकर, हुक्म
 दिया जाता है कि दावा वादी डिंडका बहाली नगर के क.ज.नं. 265/0.15,
266/0.12, 267/0.16, 264/0.08, 265/0.08, 266/0.08 वाक
गजूर नि. डिंडका बहाली नगर के हरलाल पुत्र व लखी
के लखत पर हरमान पुत्र व लखी डुरुल मिन
जाता है, शेष इन्डाज चलावत रहेगी।



वसल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.4.14 को जारी की गई।

नोट: इ.नं. 264/0.08, 265/0.08, 266/0.08
के हजान पर 464/0.08, 465/0.08, 466/0.08
पदा जारी 152 के तहत

डा
 उपखण्ड अधिकारी
 नगर - भरतपुर

24/4/14
 उपखण्ड अधिकारी
 नगर (भरतपुर) गज0